फाइल सं.विपणन/मसाला पार्क/ईओआई/प्लॉट/2020-2021

स्पाइसेस बोर्ड

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)

सुगंध भवन, पालारिवट्टम

कोच्चिन - 682 025, केरल

शिवगंगा के मसाला पार्क में भूमि पट्टे पर लेने के लिए रुचि की अभिव्यक्ति का आमंत्रण

बोर्ड ने मसालों के प्रमुख उत्पादन/विपणन केंद्रों में मसाला पार्क स्थापित किया है। पार्क को सामान्य अवसंरचना सुविधाओं के साथ जिसमें सड़क, नालियाँ, निर्बाध पानी और बिजली की पूर्ति, कैंटीन, बैंकिंग आदि शामिल है, एक स्वत:पूर्ण एनक्लेव के रूप में विकसित किया गया है। अब बोर्ड शिवगंगा (तमिल नाडु) के मसाला पार्क में पट्टे पर दिए जाने के लिए प्रस्तावित प्लॉटों में मसाले प्रसंस्करण इकाईयाँ/समर्थन सेवा इकाइयाँ स्थापित करने के लिए संभावित निवेशकों से रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित करता है।

मसाला पार्क में पट्टे पर देने के लिए प्रस्तावित भूमि, प्लॉट विवरण से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए या स्पाइसेस पार्क की यात्रा के लिए संपर्क पते के साथ नीचे दिया गया है। मसाला पार्क में उपलब्ध सुविधाओं का संक्षिप्त विवरण संलग्नक I में दिया गया है।

संपर्क व्यक्ति एवं पता	खाली प्लॉटों की संख्या	खाली प्लॉट संख्या (**#**)
श्री. पी बोस प्रभारी अधिकारी स्पाइसेस बोर्ड, मसाला पार्क शिवगंगा, तमिल नाडु मोब: 6268040105 ई-मेल: spicesparksivaganga@gmail.com	11	प्लॉट सं. 1, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 30, 31

प्लॉटों का क्षेत्रफल अनुबंध I के रूप में संलग्न लेआउट के अनुसार है

स्पाइसेस पार्क शिवगंगा में 18 प्रतिशत जीएसटी सहित पाँच लाख रुपये प्रति एकड़ की दर से एकमुश्त विकास शुल्क के भुगतान पर भूमि को 30 साल की प्रारंभिक अवधि के लिए पट्टे पर दिया जाएगा। विकास शुल्क के अलावा, 18 प्रतिशत जीएसटी सहित प्रति वर्ष 1000/- रुपये प्रति एकड़ की दर से पट्टा किराया देय होगा। पट्टा किराया आवश्यकता पड़ने पर संशोधन के अधीन है। अन्य नियम व शर्तें पट्टा करार के अनुसार होंगी।

संभावित निवेशक जो मसाला प्रसंस्करण इकाइयाँ/ समर्थन सेवा इकाइयाँ स्थापित करने के लिए पार्क में निवेश करना चाहते हैं, संलग्नक II में दिए गए फॉर्मेट में निदेशक, (विपणन), स्पाइसेस बोर्ड, सुगंध भवन, पालारिवट्टम, कोच्ची-682 025 को रुचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर सकते हैं।

पट्टे के लिए सामान्य निबंधन और शर्तें

1. प्रारंभ में, पट्टे की अवधि 30 वर्ष (तीस वर्ष) है जो पट्टा करार के पंजीकरण के दिन से शुरू होती है। यदि आवश्यकता हो, तो संबंधित राज्य सरकार से अनुमोदन के अधीन पट्टाकर्ता (स्पाइसेस बोर्ड) और पट्टेदार (निर्यातक) के बीच के आपसी करार पर पट्टे की अवधि आगे बढ़ाया जा सकता है।

2. पट्टेदार पट्टाकर्ता को पंजीकरण के वर्ष से उत्तरवर्ती वित्तीय वर्ष के अप्रैल में या उससे पहले 18 प्रतिशत जीएसटी या पुनरीक्षित दर पर प्रति वर्ष 1000/- रू प्रति एकड़ पट्टा दर का भुगतान करेगा (बोर्ड द्वारा पुनरीक्षण के अधीन)

3. पट्टेदार पट्टाकर्ता को मसाला पार्क गुंडूर को छोड़कर आबंटित प्लॉटों के लिएप्रति एकड़ 5.00 लाख रू. (18 प्रतिशत जीएसटी अतिरिक्त) की एक एकबारी अप्रतिदेय विकास शुल्क का भुगतान करेगा।

4. पट्टा करार का पंजीकरण करार हस्ताक्षर करने से एक महीने के भीतर किया जाएगा, जो न कर पाने पर प्लॉट आबंटन रद्द किया जाएगा और प्रशासनिक व्ययों के लिए भुगतान किए विकास शुल्क के पाँच प्रतिशत (जीएसटी को छोड़कर) की कटौती की जाएगी और शेष राशि पट्टेदार को वापस किया जाएगा।

5. प्रसंस्करण इकाई का निर्माण पंजीकरण करार हस्ताक्षर करने से छः महीने के भीतर किया जाएगा, जो न कर पाने पर प्लॉट आबंटन रद्द किया जाएगा और प्रशासनिक व्ययों के लिए भुगतान किए विकास शुल्क के दस प्रतिशत (जीएसटी को छोड़कर) की कटौती की जाएगी और शेष राशि पट्टेदार को वापस किया जाएगा।

6. प्रसंस्करण इकाई का निर्माण एवं ट्रायल रन करार के पंजीकरण की तिथि से 24 माह के भीतर पूर्ण किया जायेगा, जो न कर पाने पर प्लॉट आबंटन रद्द किया जाएगा और प्रशासनिक व्ययों के लिए भुगतान किए विकास शुल्क के बीस प्रतिशत (जीएसटी को छोड़कर) की कटौती की जाएगी और शेष राशि पट्टेदार को वापस किया जाएगा।

7. यदि किसी कारण से निर्माण शुरू होने के बाद और इकाई पूर्ण होने के पहले प्लॉट अभ्यर्पित करना चाहता है तो, प्रशासनिक व्ययों के लिए भुगतान किए विकास

शुल्क के बीस प्रतिशत (जीएसटी को छोड़कर) की कटौती की जाएगी और शेष राशि पट्टेदार को वापस किया जाएगा।

8. यदि निर्माण में विलंब है और करार के पंजीकरण के दो वर्ष के भीतर ट्रायल रन आयोजित कर रहा है तो , यूनिट के पूरा होने/पट्टेदार को ट्रायल रन करने की अवधि तक प्रति माह 2000 रू. का जुर्माना लगाया जाएगा।

9. बोर्ड को बोर्ड और पट्टाधारियों के बीच के करार की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के बाद पट्टाधारियों से सामान्य अवसंरचना अर्थात् बिजली, पानी, सुरक्षा,सफाई आदि पर अनुरक्षण चार्ज एकत्र करने का अधिकार है।

10. विस्तृत निबंधन और शर्तें सफल ईओआई आवेदकों के पट्टे करार में शामिल किए जाएंगे।

11. बोर्ड के पास कोई कारण बताए बिना कोई/सभी ईओआई आवेदन अस्वीकार करने का अधिकार है।

निर्धारित फॉर्मेट (संलग्नक II) में रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) उपर " मसाला पार्क में प्लॉट आबंटित करने के लिए ईओआई" लिखकर निम्नलिखित पता में प्रस्तुत किया जाएगा:

निदेशक (विपणन)
स्पाइसेस बोर्ड,
सुगंध भवन
पालारिवट्टम पी ओ
कोच्ची - 682025
केरल
ईमेल: dm.sb-ker@gov.in
टेलीफोन : 0484-2333607

निदेशक [विपणन]

संलग्नकII

मसाला पार्कों में भूमि पट्टे पर लेने के लिए रुचि की अभिव्यक्ति फॉर्मेट

1.	कंपनी का नाम			
2.	स्पाइसेस बोर्ड के वैध मसालों के निर्यातक के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र सं., (यदि पंजीकृत हो तो)			
3.	क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला श्रेणी के लिए अर्हता प्राप्त है(कृपया प्रमाण संलग्न करें)			
4.	संपर्क व्यक्ति का नाम			
5.	फोन और ई-मेल के साथ पता			
6.	पिछले दो वर्षों में निर्यात किए गए मसालों का विवरण, यदि हो तो	वर्ष	निर्यात की गई मात्रा (टन)	निर्यात किया गया मूल्य (लाख रुपए)
		2018-19 2019-20		
7.	उस पार्क का नाम जिसमें प्लॉट की आवश्यकता है			
8.	आवश्यक प्लॉट की संख्या और कुल क्षेत्रफल			
9.	प्लॉट संख्याओं की तरजीह			
10.	प्रसंस्कृत किए जाने के लिए प्रस्तावित मसालों का नाम और प्रस्तावित प्रसंस्करण का प्रकार और लगभग निवेश, यदि पलॉट आवंटित किए गए हैं तो	मसालों के नाम: प्रसंस्करण का प्रकार: लगभग निवेश:		
11.	अन्य कोई सूचना			

मैं/हम एतदद्वारा घोषणा करती/करता /करते हूँ/हैं कि उपरोक्त प्रस्तुत किए गए सभी विवरण मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है मैं/हम इसमें निर्धारित शर्तों से सहमत हूँ/हैं।

स्थान: संपर्क व्यक्ति का हस्ताक्षर

तारीख : मुहर के साथ कंपनी का नाम